जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 05-06-2021

आज दिनांक 05.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना दुधारा पुलिस द्वारा लड़की को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 167/21 धारा 363/366/504/376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता युसुफ अली पुत्र जाहिद निवासी महदेव थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.05.2021 को वादी का लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 03.06.2021 को अपहृता को बरामद करते हुए आज दिनांक 05.06.2021 को थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जनार्दन सिंह, हे0का0 मोतीलाल।

थाना महुली पुलिस द्वारा आप्रकृतिक दुष्कर्म में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीष भदौरिया के पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 175/ 2021 धारा

377/352/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त शम्भू मौर्या पुत्र लालमन मौर्या निवासी सियर जैतपुर थाना खजनी जनपद गोरखपुर हाल पता चकमहुआ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.05.2021 को स्वयं के नाबालिग पुत्र के साथ जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी तथा पूछने पर मारने के लिए दौड़ा लेने व धमकी दी गयी थी जिसके संबन्ध में अभियुक्त की पत्नी व नाबिलग की मां द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसके उपरान्त घटना पर तत्परता दिखाते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 05.06.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री सतेन्द्र यादव, हे0का0 उदयनारायन, का0 शरद राय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 20 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 2546 मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>2546</u> को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत हरिहरपुर से इवेन्ट संख्या 10429 से कालर ने किसी बात को लेकर मारपीट / विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 03 मिनट में पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्ष के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रविन्द्र यादव, आ0 रमेश सिंह यादव, हो0गा0 राकेश गुप्ता।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 94 वाहनो से 74000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 94 वाहनो से 74000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।